न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

अपील संख्या 38/2018 धारा 225 आर.टी.एक्ट शिवदत्त बनाम कलावती आदि

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
16.05.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के आदेश दिनांक 05.03.2018 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश के द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. स्वीकार करते हुए चक 83 एल.एन.पी. के मु.नं. 46 के कि.नं. 5, 6, 15, 16, 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया है एवं रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में अप्रार्थी सं. 1 व 2 को डी.एल.सी. की दर से दुगुणी राशि दिलाये जाने के आदेश दिये गये हैं। पक्षकारों द्वारा दिनांक 15.05.2018 को इस आशय का प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है। मु.नं. 46 के कि.नं. 2, 9, 12, 19, 20, 21 में भूमि अपीलांट के नाम दर्ज है। जिसमें से अपीलांट रास्ता देने को तैयार है। उक्त भूमि के बदले में मु.नं. 49 के कि.नं. 1 से 5 की 0.095है0 भूमि जो रेस्पों. सं. 2 के नाम दर्ज है। वह अपीलांट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। इससे दोनों पक्षकार सहमत है। उक्त राजीनामा पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अतः जरिये राजीनामा अपील अपीलांट स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी पदमपुर का आदेश दिनांक 05.03.2018 निरस्त किया जाता है एवं पक्षकारों की सहमति से मु.नं. 46 के कि.नं. 2, 9, 12 प्रत्येक के पश्चिमी हिस्सा में तथा कि.नं. 19 में 16 फुट के घुमाव में (जो कि.नं. 12 से कि.नं. 20 को जोडेगा) कि.नं. 20 में पूर्व से पश्चिम तथा इसी किला में उत्तर से दक्षिण दिशा में , कि.नं. 21 में प्रत्येक किला में 2–2 बिस्वा रास्ता आपसी	

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

सहमति से स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में रेस्पों सं. 2 प्रदीप कुमार मु.नं. 49 के कि.नं. 1 से 5 की भूमि 0.095है0 भूमि अपीलांट को मुआवजे के रूप में देगा जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाने का अधिकारी अपीलांट होगा। उक्त 0.095है0 भूमि मु.नं. 49 के कि.नं. 1 की मुरब्बा लाईन से पश्चिम से पूर्व दिशा की और 16–1/2 छोडकर अपीलांट को रेस्पों. अपनी भूमि प्रदान करेगें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अपीलांट शिवदत्त के नाम अंकन किया जावे। अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.03.2018 की पालना में जो राशि रेस्पों. द्वारा जमा करवायी है उसे वह प्राप्त करने का अधिकारी होगा। निर्णित पत्रावली नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)